

कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय-आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याताओं) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति), के वेतन बेण्ड (15,600-39,100) व (9300-34800) कॉलम संख्या 8 के अनुसार ग्रेड वेतन, कालम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क. स.	नाम व पद स्थापन स्थान सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती रा.उ.मा.वि.	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	कजोडमल रेगर खांखला, भीलवाडा	15.08.62	भूगोल	05.10.85	डीपीसी	30 वर्ष	5400	05.10.15
2	सोहरब खान सिन्धी अरथूना, बांसवाडा	25.12.62	चित्रकला	10.11.86	डीपीसी	30 वर्ष	5400	10.11.16
3	राम प्रसाद मीणा, निवाई टोंक	28.10.66	शा.शिक्षा	22.12.95	डीपीसी	20 वर्ष	5400	22.12.15

पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 के तहत इनक वेतन सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-9 में अंकित तिथि) को पुनरक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।


(नथमल डिडेल)

आई०ए०एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक --29/05/2017


क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (माध्य) शिक्षा
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक

5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर